सईद जाकिर हुसैन मलिक व अन्य

बनाम

महाराष्ट्र सरकार व अन्य

(फौजदारी अपील नंबर 1187 वर्ष 2012)

9 अगस्त 2012

(पी- सथाशिवम व रंजन गोगोई जे-जे-)

भारत का संविधान 1950

अनुच्छेद 22(5) निवारक निरोध के आदेश का निष्पादन करते में 14-5 महीने की देरी व 15 महीने की देरी निरोध आदेश तैयार करने में अभिनिर्धारित दोनो स्तरों पर हुई देरी को स्पष्ट करना होगा और न्यायालय को सम्पूर्ण हालात/स्थिति पर विचार करना होगा। स्पष्टीकरण दिया गया कि निरूद्ध व्यक्ति जमानत पर रिहा होने के बाद मफरूर हो गया था इसलिए निरोध आदेश निष्पादित नही हो सका] स्वीकार नही किया जा सकता क्यों जमानत निरस्त कराने व निरूद्ध द्वारा जमा राशि जब्त कराने के लिए कोई प्रयास नही किया गया और पुलिस द्वारा उसे पकडने के लिए कोई प्रभावी प्रयास नही किये गए। इसके अतिरिक्त] 15 महीने की देरी से आदेश प्रसारित करने का स्पष्टीकरण नही है] निरोध आदेश दूषित हो गया] अतः निरस्त विदेशी मुद्रा का संरक्षण और तस्करी रोकधाम गतिविधियां अधिनियम 1974-धारा 3 (1) निरोधक निरोध

अनुच्छेद-136 उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत के माध्यम से अपील निरोध आदेश देरी से पारित आदेश के संबंध में उच्च न्यायालय में नही उठाया की दलील] उठा व विचार करने की अनुमति।

अपीलार्थी का भाई 21-10-2005 को गिरफतार इस आधार पर किया गया कि वह आयात निर्यात अधिनियम 1962 में जाली व कुटरचित कोड उपयोग मे लाने गिरोह में आलिप्त था। वह 11-11-2005 को जमानत पर रिहा हुआ। दिनांक 14-11-2006 को निरोध आदेश अंतर्गत धारा 3(1)] विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी रोकधाम गतिविधियां अधिनियम 1974] उसके विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा पारित किया गया और उसी दिन वह आदेश निष्पादक प्राधिकारी द्वारा प्राप्त किया गया। फिर भी निरोध आदेश उसे 01-02-2005 को दिया गया रिट याचिका अपीलार्थी उच्च न्यायालय में पेश की गई जो खारिज की गई।

हस्तगत अपील में यह दलील दी गई निरोध आदेश के निष्पादन में 14-5 महीने की असाधारण देरी थी और निरोध आदेश पारित करने असाधारण देरी थी] अतः निरोध आदेश दूषित था।

अपील स्वीकार करते हुए न्यायालय अभिनिर्धारित-11 भारत का संविधान क्लौज(5) अनुच्छेद 22 के परिपेक्ष में निरोधक प्राधिकारी व निष्पादक प्राधिकारी पर यह है कि निरोध आदेश यथाशक्य शीघ्रअतिशीघ्र निरोधी का दिया जावे। यदि कोई देरी है तो उपरोक्त प्राधिकारियों को उचित स्पष्टीकरण देना चाहिए।**(पैरा 12(243 जी))**

हस्तगत मामले में यद्यापि निरोध आदेश दिनांक 14-11-2006 को पारित हुआ और वह दिनांक 01-02-2008 को निरोधी को दिया गया। यह बताया गया कि निरोधी 11-11-2005 को रिहा होने के बाद से मफरूर था व COFEPOSA अधिनियम की धारा 7(1) व 7(1)(ए) के अंतर्गत कार्यवाही की गई निरोधी ने उसकी पालना नही की। यद्यापि यह विवादित नही है कि निरोधी दिनांक 11-11-2005 को जमानत पर रिहा हुआ जमानत निरस्त कराने व निरोधी द्वारा जमा राशि को जब्त करने के संबंध कोई उचित कदम नही उठाये गए। संबंधित प्राधिकारी द्वारा अभ्यावेदन दिनांकित 07-08-2007 प्राप्त हुआ परंतु अभ्यावेदन में दिये गए पतों के संबंध के सत्यता जानने के लिये कई प्रयासों के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नही है। इसके अतिरिक्त पुलिस प्राधिकारियों द्वारा निरोधी को पकडने का कोई प्रयास नही किया गया। ऐसी परिस्थितियों के निरोधक व निष्पादक प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र को उनके अधिकारियों द्वारा निरोधी के निवास पते पर कई बार गये] नही मिला। आदेश निरोधी को देने में असाधारणा देरी को उचित व संतोषजनक स्पष्टीकरण नही है।**(पैरा 13]23]25) (243 एचः 244 ए-एफ] 249 ए-बी-ई-)**

पी-राम हरिकुमार बनाम भारत संघ व अन्य] (1995) 5 एससीसी 691 एसएमएफ सुल्तान अब्दुल कादर बनाम संयुक्त सचिव सरकार भारत व अन्य का 1988(3) एससीआर 508-(1998) 8 एससीसी 343] ए-मोहम्मद फारूख बनाम संयुक्त सचिव जी-ओ-आई व अन्य को] (2000)2

एससीसी 360 लक्ष्मण खटीक बनाम पश्चिम बंगाल राज्य] (1974) 4 एससीसी 1 टी-वी- अब्दुल रहमान बनाम केरल राज्य व अन्य (1988)(3) एससीआर 945-(1989)4 एससीसी 741 प्रदीप निलकण्ठ पतुरकर बनाम एस रामामूर्ति व अन्य 1993 पूरक(2) एससीसी 61 मंजू रमेश नाहर बनाम भारत संघ व अन्य(1999) 4 एससीसी 116 आदिश्वर जैन बनाम संघ व अन्य 2006(7) पूरक एससीआर 801-(2006)11 एससीसी 339 राजेन्द्र अरोडा बनाम भारत संघ व अन्य 2006(3) एससीआर 9-(2006) 4 एससीसी 796 पर भरोसा किया।

2-1 जब पूर्वग्रहपूर्ण गतिविधियों व निरोध आदेश पारित करने के बीच अनुचित व लंबी देरी होती है तो यह जांच करना न्यायालय का दायित्व है कि क्या निरोध में लेने वाले प्राधिकारी ने इस तरह की देरी को संतोषजनक जांच की हे तथा इसका उचित व स्वीकार योग्य स्पष्टीकरण दिया है कि ऐसी देरी क्यों हुई। कोर्ट का यह भी कर्तव्य है कि क्या प्रतयेक मामले की परिस्थितियों में आकस्मिक संबंध टूट गया था। निरोधात्मक आदेश पारित करने के 15 माह बसठ निरोध को ही दूषित कर देता है। आदेशों को निष्पादित करने में अनुचित देरी निरोध में लेने वाले प्राधिकारी की वास्तविकता के बारे में संदेह पैदा होता है क्योंकि निरोध में लिये गए व्यक्ति को निरोध के आधार में उल्लिखित पूर्वाग्रहपूर्ण गतिविधियों को कम करने से रोकने के लिये उसे निरोध में लेने की तत्काल आवश्यकता होती है। इस अदालत का मानना है कि निरोध में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा

पारित निरोध का आदेश उसमें निहित शक्ति का वैध प्रयोग नही था। **(पैरा 25-27)(249 ई-एफ] 250 ए-सी)**

2-2 हालांकि आदेश पारित करने की देरी के संबंध में कोई विवाद उच्च न्यायालय के समक्ष नही उठाया गया है क्योंकि अनुच्छेद 22(5) में दिये गए संवैधानिक जनोदश के खिलाफ] इस अदालत ने इसकी अनुमति दी व इस पर चर्चा भी की।**(पैरा 28) (250 ई)**

3- यदि देरी को पर्याप्त रूप से समझाया गया है] तो यह COFEPOSA के तहत निरोध के आदेश को रद्द करने का आधार नही होगा। हालांकि दोनो चरणो में देरी की व्यवस्था करनी होगी और न्यायालय को समग्र तस्वीर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न पर विचार करना होगा। इस न्यायालय का मानना है अधिकारियों ने संविधान के अनुच्छेद 22(5) के तहत आवश्यक निरोध आदेश को तुरंत निष्पादित नही किया गया है। इसके अलावा निरोध का आदेश जारी करने में 15 माह की देरी के लिये कोई उचित स्पष्टीकरण नही है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि निरोध आदेश पारित करने और निरोध में लिये गए व्यक्ति को इसकी तामील] करने में असामान्य देरी हुई है। विवादित आदेश को रद्द कर दिया गाय है और निरोध आदेश दिनांक 14-11-2006 को रद्द कर दिया गया है। [पैरा 13] 20] 27 एवं 29) (244-एफ-जी] 248-बी] 250-सी-डी] एफ)

केस संदर्भ कानून

1995(3) एससीआर 301 पर भरोसा	पैरा 9

1998(3) एससीआर 508 पर	भरोसा	पैरा 10
2000(2) एससीसी 360 पर	भरोसा	पैरा 11
1974(4) एससीसी 1 पर	भरोसा	पैरा 15
1989(3) एससीआर 945 पर	भरोसा	पैरा 16
1993 पूरक(3) एससीसी 61 पर	भरोसा	पैरा 17
1999(4) एससीआर 116 पर	भरोसा	पैरा 18
2006(7) पूरक एससीआर 801 पर	भरोसा	पैरा 19
2006(3) एससीआर 9 पर	भरोसा	पैरा 21

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारःआपराधिक अपील नं 1187/ 2012

उच्च न्यायालय बॉम्बे में न्यायिक 2008 की आपराधिक रिटयाचिका संख्या 456 में के निर्णय और आदेश दिनांक 28-08-2008 से।

के-के- मणि] अभिषेक कृष्णा] ए- लक्ष्मी नारायण अपीलकर्ता के लिये आशा गोपालन नायर उत्तरदाता की ओर से न्यायालय का निर्णय सुनाया गया पी-सथाशिवम] जे- 1- अवकाश स्वीकृत

2- यह अपील 2008 आपराधिक याचिका संख्या 455 में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पारित 14-08-2008 के अंतिम निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्णित है] जिसके तहत उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था।

3- संक्षिप्त तथ्य

ए- अपीलकर्ता बंदी शाहरोज जाकिर हुसैन का भाई है। अपीलकर्ता के अनुसार] राजस्व खुफिया निदेशालय (डी-आर-आई-)] मुंबई जोनल यूनिट ने सूचना के आधार पर सीमा शुल्क अधिनियम] 1962 ड्रौबैक योजना के तहत कथित तौर पर न्हारा सेवा बन्दरगाह से किये गए धोखाधडी वाले निर्यात के दावे की जांच शुरू की गई।

बी- जांच के दौरान कई फर्जी कर्मों की पहचान की गई] जिन्होने कथित तौर पर कई करोड रूपये का धारा उठाया गया। डी-आर-आई- मुंबई ने लगभग 10 लोगों को गिरफतार किया और शिपिंग बिल आयात निर्यात कोड(आई-ई-सी-) आदि की प्रतियों सहित कई रिकार्ड जब्त किये गए।

सी- अपीलकर्ता के भाई-निरोधी की भूमिका भी रैकेटियरांs में से एक के रूप में सामने आई] जो उक्त् योजना के तहत धोखाधडी वाले निर्यात के लिये फर्जी आई-ई-सी- और जाली दस्तावेजों का उपयोग करने में शामिल था और उसे 21-10-2005 को गिरफतार किया गया था। उपरोक्त सभी व्यक्तियों को बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया और हिरासत में लिए गए व्यक्त्यिों को भी 11-11-2005 को जमानत पर रिहा कर दिया गया।

डी- जब बंदी जमानत पर था] 14-11-2006 को महाराष्ट्र सरकार के प्रमुख सचिव गृह विभाग और निरोध प्राधिकारी द्वारा धारा 3(1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसके खिलाफ एक नजरबंदी जारी किया गया था। विदेशी मुदा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम

अधिनियम] 1974(संक्षेप में COFEPOSA) और उसी दिन निष्पादन प्राधिकारी द्वारा निरोध आदेश पारित किया गया था।

ई- 01-02-2008 को यानि के] 14-5 माह की देरी के बाद उक्त आदेश बंदी की तामील कराया गया निरोध आदेश को चुनौती देते हुए] निरोध में लिये गए अपीलकर्ता के भाई ने उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक रिट याचिका संख्या 455/2008 दायर की। उच्च न्यायालय ने दिनांक 14-08-2008 को आक्षेपित निर्णय द्वारा उक्त याचिका को खारिज कर दिया।

एफ- उक्त निर्णयों से व्यथित होकर] अपीलकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति के माध्यम से यह अपील दायर की है।

4- श्री के-के- मणि] विद्वान अधिवक्ता अपीलकर्ता के लिये व सुश्री आशा गोपालन नायर] प्रतिवादी-राज्य के लिये विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

अपीलकर्ता की दलीलेंः-

5 ए- हालांकि निरोध आदेश दिनांक 14-11-2006 को पारित किया गया था और निरोध में लिया गया व्यक्ति अधिकारियों ने आदेश को केवल 01-02-2008 को निष्पादन के लिये चुना। उसी के अनुसरण esa निरोध आदेश को क्रियान्वित करने में साढे 14 माह की अत्यधिक व अनुचित देरी हुई] जो निरोध को ही दूषित कर देती है।

बी- हालांकि डी-आर-आई- को विजय मेहता के बयान को दर्ज करके घटना के बारे मं पता चला और निरोध में लिये गये व्यक्ति को 21-10-2005 को गिरफतार भी कर लिया गया] लेकिन निरोध का आदेश 15 माह की अत्यधिक व अनुचित देरी के बाद 14-11-2006 को जारी किया गया था जो निरोध को दूषित कर देता है।

प्रतिवादी राज्य की दलीलें:-

6क- चूंकी निरोधी फरार था] इसलिए निरोध आदेश को निष्पादित करने के लिये निष्पादन अधिकारी द्वारा बार बार प्रयास करने के बावजुद सभी प्रयास व्यर्थ थे क्योंकि बंदी ने खुद को गैर पता लगाने योग्य बना लिया था।

बी- देरी को न केवल निरोध में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा बल्कि निष्पादन प्राधिकारी द्वारा एक हलफनामा दायर करके उचित क्ष्प से समझाया गया है।

सी- यह महसूस करने के बाद कि निरोधी फरार हो गया है धारा 7(1)(बी) के तहत और इसके अतिरिक्त COFEPOSA की धारा 7(1)(ए) के तहत भी कार्यवाही की गई क्योंकि बंदी ने इसका अनुपालन नही किया। यह बताया गया है कि एक बार COFEPOSA की धारा 7(ए)(बी) के तहत उचित कार्यवाही कर दी गई है तो निरोध में लिये गए व्यक्ति पर स्थानांतरित हो जाता है।

7- हमने प्रतिवादी विवादों पर विचार किया है] निरोध के आधारों और अन्य सभी संबंधित सामग्रियों का अध्ययन किया है।

बहसः-

8- अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उठाये गए विवाद पहले विवाद पर विचार करने के लिये] भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(05) का संदर्भ लेना उपयोगी होगा जो इस प्रकार है-

> "(05) जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के प्रावधान वालेे किसी कानून के तहत दिये गये आदेश के अनुसरण में निरोध में लिया जाता है] तो आदेश देने वाला प्राधिकारी जितनी जल्दी हो सके] ऐसे व्यक्ति को उन आधारों के बारे में सूचित करेगा जिन पर आदेश दिया गया है और उसे आदेश के विरूद्ध अभ्यावेदन देने का यथाशीघ्र अवसर प्रदान किया जाएगा।
>
> उपरोक्त प्रावधान यह आदेश करता है कि निवारक निरोध के मामलें में ऐसे आदेश देने वाले अधिकारी पर संबंधित व्यक्ति/निरोध में लिये गये व्यक्ति को उन आधरों के बारे में सूचित करना अनिवार्य है जिन पर आदेश दिया गया है। यह भी स्पष्ट है कि बिना किसी देरी के उचित संचार के बाद निरोध में लिये गये व्यक्ति को उक्त आदेश के खिलाफ अभ्यावेदन देने का जल्द से जल्द अवसर दिया जाएगा।

उपरोक्त आदेश की प्रकाश में हम इस न्यायालय के विभिन्नपूर्ण निर्णयों के संदर्भ में पहली प्रस्तुति पर विचार करें।

9- पी-एम- में हरि कुमार बनाम भारत संघ व अन्य (1955) 5 ैब्ब् 691 जे लगभग मौजूदा मामले के समान है] निरोध आदेश के निष्पादन में देरी का एकमात्र कारण यह था कि निरोधी फरार था और वे उसकी अपनी गलती के कारण उसे निरोध में लेने का आदेश नही दे सके। उक्त तर्क को खारिज करते हुए इस न्यायालय ने कहा

> " ^^13- यदि प्रतिवादी वास्तव में ईमानदार थे और बिना किसी देरी के निरोध आदेश को पूरा करने के लिये उत्सुक थे] तो उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वे उच्च न्यायालय या कम से कम उस न्यायालय से सम्पर्क करें] जिसने शुरू में जमानत रद्द करने की अनुमति दी थी।**

जैसा कि उनके स्वयं के प्रदर्शन के अनुसार याचिकाकर्ता ने लगाई गई शर्तो का उल्लंघन किया था और इस प्रकार उसकी उपस्थिति या पेशी को जैसा भी मामला हो बाद्य किया जायेगा। हालांकि आश्चर्य की बात यह है कि ऐसा कोई कदम नही उठाया गया और इसके बजाय पर दावा किया जा रहा है कि उनके निवास पर एक संचार भेजा गया था जो बिना डिलेवरी के वापस आ गया। इस तथ्य के अलावा

कि इस तरह के दावे के समर्थन में हमारे सामने ऐसा कोई संचार प्रस्तुत नही किया गया है] यह नही बताया गया है कि 03-08-1990 तक कोई अनुवर्ती कार्यवाही की गई थी। जब तक इस अधिनियम की धारा 7 लागू की गई थी] इसी तरह अस्पष्ट सीमा शुल्क अधिकारियों के कहने पर दायर आपराधिक मामले (1993 का सी-सी- नंबर 02) में याचिकाकर्ता की व्यक्तिगत उपस्थिति में जोर देने में उत्तरदाताओं की विफलता है] खासकर तब जब इसकी कार्यवाही का वहन उनके पास था और उनके कहने पर निरोध का आदेश पारित किया गया। इसके विपरित उन्हे अनुपस्थित रहने की अनुमति दी गई] जिससे यह निष्कर्ष अवश्य निकलता है कि सीमा शुल्क अधिकारियों ने उनकी प्रार्थना का विरोध नही किया। निरोधी के खिलाफ पारित निरोध के आदेश के बारे में न्यायालय के ध्यान में लाना तो दूर की बात है।

यह पता लगाने कि प्रतिवादी अधिकारियों से प्रयास नही किये और याचिकाकर्ता को निरोध में लेने का आदेश देने के लिये तत्काल और प्रभावी कदम नही उठाये] जो उनके लिये उपलब्ध थे] इस अदालत ने निरोध के आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि सेवा तामील में

सुसामान्य देरी हुई है। निरोध के आदेश को ठीक से और संतोषजनक ढंग से समझाया नही गया है।

10- एस-एम-एम- में सुल्तान अब्दुल कादर बनाम भारत सरकार का संयुक्त सचिव व अन्य (1998) 8 एस सी सी 343] निरोध का आदेश दिनांक 14-03-1996 को पारित किया गया था लेकिन निरोधी को 07-08-1997 को ही निरोध में लिया गया । यह पता चलने के बाद भी निरोधी को पकडने के लिये पुलिस अधिकारियों द्वारा कोई गंभीर प्रयास नही किये गए और संयुक्त सचिव ने स्वयं पुलिस अधिकारियों से यह जानने के लिये कोई प्रयास नही किया कि वे निरोधी को पकडने में क्यों सक्षम नही थे] निरोध के आदेश को रद्द कर दिया।

11- ए- मोहम्मद फारूख बनाम संयुक्त सचिव भारत सरकार व अन्य (2000) 2 SCC 360 में] न्यायालय से एकमात्र विवाद निरोध क आदेश को निष्पादन में हेरी का था। उस मामले में निरोध आदेश 25-02-1999 को पारित किया गया था] लेकिन अधिकारियों ने लगभग 40 दिनों की अत्यधिक व अनुचित देरी के बाद केवल 06-04-1999 को बंदी आदेश को निष्पादित करने का विकल्प चुना। निरोध आदेश को निष्पादित करने में 40 दिनो की देरी के लिये उचित और स्वीकार्य कारणों के अभाव में इस न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि दिनांक 25-02-1999 को निरोध आदेश जारी करने में निरोधी प्राधिकारण को व्यक्तिपूर्वक संतुष्टि खराब हो गई और इस आधार पर इसे रद्द कर दिया।

12- यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 22 की उपधारा 5 की रौशनी में निरोध में लेने वाले प्राधिकारी के साथ साथ निष्पादन प्राधिकारी का भी यह दायित्व है कि वह यथा शीध्र निरोध आदेश जारी करे। यदि कोई विलंब होता है तो यह उक्त अधिकारियों का कर्तव्य है कि उचित स्पष्टीकरण दें।

13- अब आई-ए- निरोध आदेश की तामील में मौजुदा मामलें में हुई देरी पर विचार करें। हालांकि निरोध आदेश 14-11-06 को पारित किया गया था। उसे 01-02-2008 को तामील किया। राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील सुश्री आशा गोपालन नायर ने तर्क दिया की चूंकी बंदी स्वयं फरार था] बार बार किये गए प्रयासों के बावजुद] इसे अमल में नही लाया जा सका। उन्होने निरोध आदेश की तामील कराने के किये गए प्रयासों के बारे में बताते हुए संबंधित अधिकारियों द्वारा दायर किये गए हलफनामों को भी हमारे ध्यान में लाया गया। अपने प्रयासों के बारे में जानकारी देते हुए उन्हाने बताया 11-11-2005 को जेल से रिहा करने के बाद बंदी फरार हो गया और COFEPOSA की धारा 7 (1) (बी) और 7 (1) (ए) के तहत कार्यवाही भी की गई और कहा गया की निरोधी ने इसका अनुपालन नही किया है। दूसरी पक्ष की ओर से बताया गया कि इस अवधि के दौरान जमानत आदेश दिनांक 11-11-2005 को रद्द नही किया गया और न ही बंदी द्वारा जमा की गई राशि को जब्त करने का प्रयास किया गया। जब इस न्यायालय ने देरी के बारे में राज्य के विद्वान अधिवक्ता के एक विशिष्ट

प्रश्न पूछा] विशेष रूप से जब निरोधी को 11-11-2005 को जमानत पर रिहा किया गया और जमानत रद्द करने और राशि की जब्ती के लिये कोई उचित कदम नही उठाया था जो निरोधी द्वारा जमा की गई थी।

ऐसी परिस्थितियों में विरोध में लेने वाले व निष्पादन प्राधिकारी द्वारा दायर किये गए हलफनामें में बताया गया कारण की कई अवसरों निरोधी निवासके पते पर गये पर उसका पता नही लगाया जा सका] अस्वीकार्य है। हमारा मानना है कि प्रतिवादी अधिकारियों ने तत्काल प्रभावी कदम उठाने के लिये कोई ईमानदार व गंभीर प्रयास नही किये जो उपलब्ध थे उनके पास विशेषतः जब निरोध में लिया गया व्यक्ति न्यायालय के आदेश से जमानत पर था। हम इस बात से संतुष्ट है कि निरोध के आदेश की तामील में न्यायालय देरी को उचित व संतोषजनक ढंग से नही समझाया गया है। इस धारणा को ध्यान में रखते हुए कि अधिकारियों ने संविधान के अनुच्छेद 22 (5) के तहत आवश्यक निरोध को तुरंत निष्पादित नही किया है।

14- अब दूसरे तर्क पर आते है] अर्थात निरोध आदेश पारित करने में देरी] अपीलकर्ता का यह दावा है कि आदेश पारित करने में 15 माह की देरी हुई थी। यह बताया गया है कि डीआर 1 को एक विजय मेहता नामक व्यक्ति के बयान को दर्ज करके घटना के बारे में पता चला और 21-10-2005 को गिरफतार कर लिया गया और निरोध के आधार के साथ संलग्न सभी दस्तावेज सहित सभी दस्तावेज अस्तित्व में आ गए थे। फिर भी

अधिकारियों ने 15 माह की अत्यधिक व अनुचित देरी के बाद 14-11-2006 को ही निरोध का आदेश पारित कर दिया। यह भी उजागर किया गया है कि इस अवधि के दौरान निरोध में लिया गया व्यक्ति अधिकारियों के किसी भी प्रतिकूल नोटिस में नही आया था और उसनें किसी भी तरह की अवैध गतिविधियों में शामिल होने का आरोप नही लगाया गया था। इसे ध्यान में रखते हुए यह तर्क दिया गया है कि कथित घटना लंबे समय के अंतराल के कारण अप्रासंगिक हो गई है इसलिए निरोधी व्यक्ति के खिलाफ निरोध आदेश पारित करने में अत्यधिक देरी व अनुचित देरी निरोध को दुषित कर देती है। इन पहेलुओं को इस न्यायालय में कई बार उजागर किया है।

15- लक्ष्मण खटीक बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1974) 4 एस-सी-सी- 1 में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ में आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971] के तहत निरोध आदेश पर विचार करते हुए निष्कर्ष निकाला है।

ऐसी मामले में जल्द से जल्द कार्यवाही की जानी चाहिए जिनका उल्लेख आधारों में किया गया है। उक्त निर्णय में यह बताया गया है कि सभी तीन आधार जिन पर जिला मजिस्ट्रेट आवश्यक संतुष्टि तक पहुंचने का दावा करता है] अगस्त 1971 के महीने मे तेजी से हुई घटनाओं पर आधारित है। चावल के पांच बैग उतारने की प्रथम घटना भी 5 अगस्त 1971 को हुई। दूसरी घटना भी 5 अगस्त 1971 को दोपहर में व्यावहरिक रूप से पहली घटना के समान ही हुई। इस बार भी चावल ले जाने वाले

ट्रकों से कुछ चावल हटा दिया गया था। तीसरी घटना 20 अगस्त 1971 की दोपहर को भी उसी स्थान पर घटी। वह भी भरे हुए ट्रकों में से कुछ चावल निकालने से संबंधित था। इस तथ्यात्मक परिदृश्य मे इस न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि लगभग सात महिने पहले निरोधी के आचरण को ध्यान में रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट 22 मार्च 1972 को हिरासत की आवश्यकता के बारे में संभवतः संतुष्ट नही हो सकते थे। निम्नलिखित निष्कर्ष बहुत प्रासंगिक है।

> “ 5----- वास्तव में निरोध आदेश पारित करने में केवल हुई देरी निर्णायक नही है] लेकिन हमें दिये गए आधार के प्रकार को देखना होगा और विचार करना होगा की क्या ऐसे आधार वास्तव मंे किसी अधिकारी को लगभग 7 माह बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद कर सकते है कि याचिकाकर्ता को खाद्यान्न की आवश्यक आपूर्ती को बनाये रखने से पहले कार्य करने से रोकने के लिये उसे निरोध में लेना आवश्यक था। यह स्पष्ट नही किया गया है कि आदेश पारित करने में इतना लंबा विलंब क्यों हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि जिला मजिस्ट्रेट ने लगभग 7 माह पहले किये गए अपराधों के लिये दोषसिद्धी और सजा का आदेश पारित कर दिया है। संबंधित अधिकारियों को उस उद्देश्य के प्रति उचित सम्मान रखना चाहिए जिसके साथ

उसे पारित किया गया है। यदि उद्देश्यों खाद्यपन्नों की आपूर्ति में व्यवधान को रोकना था तो किसी को यह सोचना चाहिए कि जैसे ही ऐसी घटनाये घटें] जिनका आधार में उल्लेख किया गया है ऐसे मामले में त्वरित कार्यवाही की जानी चाहिए। हमारी राय से निरोध का आदेश अमान्य है।

16- टी-वी- अब्दुल रहमान बनाम केरल राज्य व अन्य 1989 4 एस0सी0सी0 741 में इसी तरह की परिस्थिति में इस अदालत ने फैसला सुनायाः

यह प्रश्न कि क्या निरोध क आदेश को पारित करने के लिये आवश्यक व्यक्ति की पूर्वाग्रहपूर्ण गतिविधियां उस समय के करीब है जब आदेश दिया जाता है या पूर्वाग्रहपूर्ण गतिविधियां और निरोधी के उद्देश्य के बीच का सीधा संबंध टुट जाता है। यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। कोई भी ऐसा सख्त नियम नही बनाया जा सकता जो सभी परिस्थितियों में लागू हो और इस संबंध कोई विस्तृत दिशानिर्देश निर्धारित किये जा सकते। आपत्तिजनक कृत्यों और हिरासत के आदेश के बीच केवल महीनों की गिनती से यह निष्कर्ष निकलता है कि निकटता का परीक्षण कोई कठोर या मशीनी परीक्षण नही है। हालांकि जब अनुचित व लंबी देरी पूर्वाग्रहपूर्ण गतिविधियों व निरोध आदेश के बीच होती है तो अदालत को यह जांच करनी होगी। निरोध में लेने वाले प्राधिकारी ने

इस प्रकार की देरी की संतोषजनक ढंग से जांच की है और इस बारे में एक तर्क संगत और उचित स्पष्टीकरण दिया है कि ऐसी देरी क्यों हुई है] जब जवाब देने के लिये कहा जाता है ओर आगे अदालत को यह जांच करनी होती है कि क्या प्रत्येक मामले में आकस्मिक संबंध टूट गया है।

इसी प्रकार जब निरोध के आदेश की तारीख और निरोध में लिये गये व्यक्ति की गिरफतारी सुनिश्चित करने की तारीख के बीच असंतोषजनक और अस्पष्ट देरी होती है तो ऐसी देरी से निरोध में लेने वाले प्राधिकारी की व्यक्तिपूर्वक संतुष्टि की वास्तविकता पर काफी संदेह पैदा होता है] जो एक वैध निष्कर्ष है। निरोध में लेने वाला प्राधिकारी पूर्वाग्रहपूर्ण तरीके से उसके कार्य को रोकने की दृष्टि से निरोध में लेने की आवश्यकताओं के संबंध में वास्तव में और वास्तव में संतुष्ट है।

ऐसा मानते हुए इस न्यायालय ने निरोध के आदेश को रद्द कर दिया।

17- प्रदीप नीलकण्ठ पतुरकार बनाम एस- रामामूर्ति व अन्य 1993 सप (2) एस0सी0सी0 61 में] निरोध आदेश पारित करने में देरी के प्रभाव पर विस्तार से विचार किया गया है। पहले के निर्णयों का विशलेषण करने के बाद इस न्यायालय ने माना कि किसी घटना के बाद निरोध का आदेश पारित करने में वास्तव में देरी किसी व्यक्ति की निरोध के लिये घातक नही है] कुछ मामलों में देरी अपरिहार्य व उचित हो सकती है।

हालांकि कानून के अनुसार यह आवश्यक है कि देरी को निरोध मे लेने वाले प्राधिकारी द्वारा संतोषजनक ढंग से समझाया जाना चाहिए।

18- मन्जू रमेश नाहर बनाम भारत संघ व अन्य (1999) 4 एस0सी0सी0 116 में निरोधी को गिरफतार करने में एक वर्ष से अधिक की देरी हुई थी। इस न्यायालय ने अस्पष्ट स्पष्टीकरण को खारिज कर दिया कि निरोधी फरार था तथा पाया गया कि निरोध दोषपूर्ण है।

19- आदिश्वर जैन बनाम भारत संघ व अन्य (2006) 11 एस0सी0सी0 339 में] इस न्यायालय ने माना कि देरी को पर्याप्त रूप से समझाना चाहिए। उस मामले मे निरोध के प्रस्ताव व निरोध समझाया गया था। इसलिए इस न्यायालय ने निरोध के आदेश को रद्द कर दिया।

20- यह स्पष्ट है कि देरी को समझाया गया है तो यह COFEPOSA के तहत निरोध के आदेश को रद्द करने का आधार नही होगा। हालांकि दोनो चरणों में देरी की व्यवस्था करनी होगी और न्यायालय को समग्र तस्वीर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न की विचार करना होगा। आदिश्वर जैन (सुप्रा) में] चूंकी देरी का एक हिस्सा अस्पष्ट है] इस न्यायालय ने निरोध आदेश को रद्द कर दिया।

21- राजेन्द्र अरोडा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य (2006) 4 एस0सी0सी0 796 में इस न्यायालय ने कथित अवैध कृत्य के लगभग 10 माह बाद निरोध आदेश पारित करने के प्रभाव पर विचार किया। टी-ए-

अब्दुल रहमान (सुप्रा) के फैसले पर भरोसा करते हुए] निरोध आदेश को पारित करने में देरी के आधार पर रद्द कर दिया गया था।

सारांश

22- यह स्पष्ट किया गया है यदि निरोध आदेश में अनुचित विलंब होता है तो यह आदेश को दोषपूर्ण कर देता है] मौजुदा मामले में] हालांकि निरोधी को 11-11-2005 को जमानत पर रिहा कर दिया गया था लेकिन निरोधी का आदेश 14-11-2006 को ही पारित कर दिया था] यदि निरोधी फरार था और निरोध के आदेश की तामील के लिये उपलब्ध नही था] अधिकार जमानत रद्द करने व जमा की गई राशि को जमा करने के लिये कदम उठा सकते थे। माना कि ऐसा कोई सहारा नही लिया गया है। यदि उत्तरदाता वास्तव में ईमानदार थे और बिना किसी देरी के निरोध आदेश को पूरा करने के लिये उत्सुक थे] तो उनसे यह अपेक्षा की गई कि वे संबंधित न्यायालय से जमानत को रद्द करने के लिये सम्पर्क करे] यह इंगित करके कि निरोधी ने लगाई गई शर्तो का उल्लघंन किया है और इस प्रकार] उसकी उपस्थिति या पेशी को जैसा भी मामला हो लागू करेगा। ऐसा कोई कदम नही उठाये गए बल्कि यह बताया गया कि कई अवसरों पर उसके घर जाकर नकल देने की कोशिश की गई।

23- श्री के-के- मणि] विद्वान अधिवक्ता ने 07-08-2007 को गृह विभाग] निरोध प्राधिकरण पांचवी मंजिल मुंबई सरकार को भेजी गई याचिका मे एक विस्तृत प्रतिनिधित्व हमारे ध्यान में लाया। यह भी देखा

गया है उनके द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया है जो कि उसके समर्थन में स्पष्ट है। उक्त अभ्यावेदन में निरोधी के पत्ते ठिकाने शामिल है। 07-08-2007 को उक्त पत्ते को सत्यापित करने का कोई प्रयास नही किया गया है। हम इस बात से संतुष्ट है कि उत्तरदाताओं के हलफनामें में बताये गए कारण अस्वीकार्य व असंतोषजनक है।

24- इस संबंध में हम दौहराते है कि निरोध प्राधिकारी के निरोध आदेश को निष्पादित करने में संतोषजनक ढंग से बताना चाहिए अन्यथा व्यक्तिपरक संतुष्टि दोषपूर्ण हो जाती है। मौजुदा मामले में 14-5 महीने की देरी की व्याख्या करने वाली किसी भी स्पष्टीकरण के अभाव हमारी राय है कि उचित समय के भीतर उस पर अमल न करने पर निरोध आदेश को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

25- हम इस बात से भी संतुष्ट है कि निरोधी को पकडने के लिये पुलिस अधिकारियों द्वारा कोई गंभीर प्रयास नही किये गए। इसलिए आदेश को निष्पादित करने में अनुचित देरी से निरोध प्राधिकारी की वास्तविकता के बारे में गंभीर संदेह पैदा होता है] क्योंकि निरोध में लिए गये व्यक्ति को निरोध के आधार पर संदर्भित पूर्वाग्रहपूर्ण गतिविधि को करने से रोकने के लिये उसे निरोध में लेने की तत्काल आवश्यकता होती है। हमारा मानना है कि निरोध में लेने वाली प्राधिकारी द्वारा पारित निरोध का आदेश उसमंे निहित शक्ति का वैध प्रयोग नही था।

26- जहा तक दूसरे तर्क का संबंध है जैसा कि अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने सही ढंग से बताया है निरोध आदेश पारित करने में देरी अर्थात 15 महीने बाद निरोध स्वयं ही दोषपूर्ण हो जाता है पर प्रश्न है कि क्या किसी व्यक्ति की पूर्वाग्रहपूर्ण गतिविधियों के लिये निरोध का आदेश पारित करना आवश्यक है] आदेश दिए जाने के समय निकट है या पूर्व न्यायिक गतिविधियों ओर निरोध के उद्देश्यों के बीच का सीधा संबंध टूट गया है] यह प्रत्येक मामले की तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यद्यापि कोई सख्त नियम नही है ओर इस संबंध में कोई विस्तृत दिशा निर्देश निर्धारित नही किये जा सकते] तथापि जब पूर्वाग्रहपूर्ण गतिनिधियों और निरोध आदेश पारित करने के बीच अनुचित और लंबी देरी होती है] अदालत का यह कर्तव्य है कि वह इस बात की जांच करे कि क्या निरोध में लेने वाले प्राधिकारी ने इस तरह की देरी की संतोषजनक जांच की है ओर उचित स्वीकार्य स्पष्टीकरण दिया है कि देरी क्यों हुई है।

27- यह जांच करना भी न्यायालय का कर्तव्य है कि क्या किसी मामले की परिस्थितियों में आकस्मिक संबंध टूटा है। हम इस बात से संतुष्ट है कि निरोध का आदेश जारी करने में 15 महीने की अवधि तक उचित स्पष्टीकरण के अभाव में इसे रद्द करना पडा क्योंकि हम निरोध आदेश पारित करने में देरी ओर निरोध में लिए गए लोगोेें को इसकी तामील करने से संबंधित तर्को से सहमत है] इसलिए तथ्यात्मक विवरण में जाने की कोई आवश्यकता नही है।

28- हालांकि सुश्री आशा गोपालन नायर ने यह कहते हुए आपत्ति जताई है कि दूसरा तर्क अर्थात आदेश पारित करने में देरी उच्च न्यायालय के समक्ष नही उठाया गया है] क्योंकि यह अनुच्छेद 22 (5) में दिये गए सवैधानिक जनादेश के खिलाफ है। हमने अपीलकर्ता को अनुमति दी ओर उस पर चर्चा भी की।

29- उपरोक्त चर्चा व निष्कर्ष के प्रकाश में हम उच्च न्यायालय के तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ है। नतीजतन हमने 2008 की आपराधिक रिट याचिका संख्या 455 में दिनांक 14-08-2008 के फैसले को रद्द कर दिया और दिनांक 14-11-2008 के निरोध आदेश रद्द कर दिया। चूंकि निरोध की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है] इसलिए उसकी रिहाई के लिये किसी और दिशा निर्देश की आवश्यकता नही है] अपील स्वीकार की जाती है।

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवाद न्यायिक अधिकारी प्रेमसिंह धनवाल आर.जे.एस द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।